डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय

पर्यावरणविद्

पता : एच.आई.जी. 1/8, शिवानी काम्प्लेक्स, 6 नं स्टॉप, भोपाल – 462 016
टेलिफोन/मोबाइल नं. : +91 755-4222030, मो. +-91 9826713114
ई-मेल आईडी : drsubhashcpandey@gmail.com
वेबसाईट : www.gseed.jerad.org

पर्यावरण व रासायन विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 28 पुस्तकों के लेखक डॉ. सुभाष सी. पाण्डेय एक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका जेराड (Journal of Environmental Research And Development) के एडिटर-इन-चीफ हैं। वे देश-विदेश के विभिन्न वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों एवं पर्यावरणविदों को शोध विमर्श हेतु एक मंच पर लाने के लिए अब तक 5 राष्ट्रीय एवं 7 अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमीनारों का आयोजन कर चुके हैं। मॉरिशस मे आपके द्वारा आयोजित किये गये सफल अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का प्रशंसा पत्र 1 दिसम्बर 2010 को भारत की लोकसभा मे लिखित रुप मे पढ़ा गया है। डॉ. पाण्डेय मूलतः बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल अंतर्गत एक शासकीय महाविद्यालय मे पर्यावरण एवं रसायन विज्ञान विषय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष थे, किंतु जमीनी स्तर पर कार्य करने की भावना के चलते उन्होने सरकारी सेवा के 17 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्ति ले ली। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त डॉ. पाण्डेय के मार्गदर्शन मे अनेक शोधार्थी शोध कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं पर्यावरण के कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए डॉ. पाण्डेय द्वारा पिछले एक दशक से गंदे तालाब, पहाड़ियां एवं अविकसित पिछडे गांवों को गोद लेकर उनका विकास किया जा रहा है। इन्होने भरुच (गुजरात) स्थित रतन तालाब एवं फुरजा झुग्गी इलाका, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) स्थित रसूलपुरा गांव और भोपाल (मध्यप्रदेश) स्थित आनन्द नगर शमशान घाट, शाहपुरा तालाब, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, लहारपुर सिचांई डेम की सफाई एवं विकास कार्य एवं मैनिट स्थित चूना भटटी पहाड़ी पर विशाल नीम जंगल तैयार कर अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा किया। इसके अतिरिक्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल की मदद से डॉ. पाण्डेय द्वारा अनेकों महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य पूरे किये गये हैं : जैसे

1. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ एवं राजस्थान राज्य के समस्त पीने के पानी के स्त्रोतों मे मूर्ति विसर्जन एवं ताजिया विसर्जन पर रोक लगवाई ।

2. देश के विभिन्न राज्यों मे 125 डेसीबल से उच्च तीव्रता के ध्वनि उत्पन्न करने वाले समस्त पटाखों के निर्माण, संधारण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगवाई ।
3. पूरे मध्यप्रदेश मे अनट्रीटेड सीवेज एवं गंदे नालों से सिंचित सब्जियों एवं फसलों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगवाई।
4. ओला वृष्टि से प्रभावित मध्यप्रदेश के 29 लाख किसान परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं क्षेत्रीय पर्यावरण सुधार हेतु शासन को निर्देशित करवाया ।
5. मध्यप्रदेश राज्य मे फसलो के अवशेष (भूसा) खेत मे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाया ।
6. मध्यप्रदेश राज्य मे गेहूँ, धान एवं अन्य फसलों हेतु उपयोग मे लाये जा रहे हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉरिपर लगाना अनिवार्य करवाया ।
7. राजधानी भोपाल स्थित औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप मे खतरनाक वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों को तत्काल बंद करने के प्रभावी आदेश करवाये।
8. औद्योगिक प्रदूषण से रहवासी जीवन एवं पुरातत्विक स्मारको से बचाने हेतु प्रभावी निर्देश जारी करवाये।
9. भोपाल शहर के अवैध एवं अनधिकृत कचरा स्थल "भानपुर खंती" को बंद करवाया एवं आदमपुर छावनी पर नवीन ट्रेचिंग ग्राउड का निर्माण करवाया।
10. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ एवं राजस्थान राज्य सरकारों को नगरीय कचरे का उचित निष्पादन करवाने हेतु सख्त निर्देश जारी करवाये।
11. भोपाल शहर की एक मात्र नदी कलियासोत का जीवन बचाने हेतु, उस पर अतिक्रमण हटाने एवं ग्रीन बेल्ट का निर्माण करने बावत कठोर निर्देश जारी करवाये।
12. भोपाल स्थित शाहपुरा सीवेज पोंड को लगातार मॉनिटरिंग एवं सफाई के द्वारा तालाब मे परिवर्तित करवाया। इस हेतु एनजीटी के निर्देश से शाहपुरा तलाब की सफाई एवं संरक्षण पर शासन द्वारा 34 करोड रुपये व्यय किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न शहरों मे अबतक 485 आर.टी.आई. आवेदन पत्र लगाकर भ्रष्टाचार एवं पर्यावरण विषयक अनेक घोटालों का पर्दाफाश किया। जैसे :

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयो मे कार्यरत प्रोफेसरों एवं प्राचार्यो द्वारा शोध पत्रों के वाचन के नाम पर फर्जी विदेश यात्रा एवं यू.जी.सी. से लाखों रुपयों के घोटालों का पर्दाफाश किया।

2. एस.बी.आई. (SVNIT campus, Surat) बैंक द्वारा बिना दस्तावेजों के फर्जी सोसायटी के एकांउट खोलने एवं लाखों रुपयों की अनियमितताओं का भंडाफोड़ ।
3. मध्यप्रदेश की शासकीय महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से प्राप्त हजारों रुपयों के परिश्रमिक की इनकम टैक्स की चोरी का खुलासा।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीयकर्मियों के स्थानांतरणों मे की गई धांधलेबाजी का खुलासा ।
5. मध्यप्रदेश मे स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के नाम पर करोडों रुपयों की अनियमितता का पर्दाफाश।
6. मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं प्राइवेट चिकित्सालयो मे आखों की खरीद फरोक्त के षडयंत्र का खुलासा।
7. मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों मे शिक्षको के वेतन मे शोषण का पर्दाफाश।
8. करीला मेले, अशोकनगर, मध्यप्रदेश मे राई नृत्य के नाम पर बच्चियों के साथ यौन शोषण व्यभिचार का भण्डाफोड।
9. दूध मे मिलावट एवं हानिकारक कृत्रिम दूध के निर्माण का खुलासा।

****